

# उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर—थानों रोड,निकट—महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर देहरादून—248008

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in

ant The Williams.

E- mail: chayanayog@gmail.com

विज्ञापन संख्याः ४३/ उ०अ०से०च०आ०/ २०२२

दिनांकः 03 जनवरी, 2022

# चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस विभाग में समूह 'ग' के अन्तर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 65 रिक्त पदों, उप निरीक्षक अभिसूचना के 43 रिक्त पदों, गुल्मनायक (पुरूष) पीएसी/आईआरबी के 89 रिक्त पदों तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 रिक्त पदों अर्थात कुल 221 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	03.01.2022
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	08.01.2022
ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	21.02.2022
लिखित परीक्षा का अनुमानित समय	जुलाई,2022

#### नोटः रिक्तियों की संख्या बढायी या घटायी जा सकती है।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस विभाग में समूह 'ग' के अन्तर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 65 रिक्त पदों, उप निरीक्षक अभिसूचना के 43 रिक्त पदों, गुल्मनायक (पुरूष) पीएसी/आईआरबी के 89 रिक्त पदों तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 रिक्त पदों अर्थात कुल 221 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 21.02.2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आयोग द्वारा OTR (One Time Registration) को अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में दर्ज की गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा, अतः आवेदन—पत्र भरने के पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन—पत्र भरने के पूर्व OTR की जानकारी को OTR के Edit विकल्प में जाकर संशोधित कर लें। हर प्रकार से त्रुटिरहित OTR होने पर ही आवेदन—पत्र भरना प्रारम्भ करें। आवेदन पत्र भर जाने व Submitt button पर Click करने के उपरांत इस आवेदन पत्र के लिए OTR में संशोधन संभव नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण OTR तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन—पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। OTR भरने में सहायता के लिए Toll free no. 9520991172 या WhatsApp no.— 9520991174 या आयोग की e-mail Id: chayanayog@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online mode में परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन—पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर पर SMS तथा ई—मेल द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र



Page **1** of **20** 

आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई—मेल या SMS से ही मिलेंगी। इसलिए अपना स्वंय का फोन नम्बर व ई—मेल ही आवेदन पत्र में भरें।

\* अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति की समस्त शर्तो, अर्हताओं तथा विज्ञप्ति के अन्त में दिए गए निर्देशों को भलीभॉति अवश्य पढ़ लें।

1. पदनाम-

# उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

丣0		पदनाम/विभाग	```	रिक्त	क्षैतिज ३	आरक्षण व	के अन्तर्गत संख्या	त रिक्त	पदों की			
सं0	पद कोड	का नाम	श्रेणी	ઝળા	पद	WO (30%)	DFF (02%)	Ex. Ser. (05%)	Orpha n (05%)	Others		
		*	अ०जा०	13	03	_	_	_	10			
		उप निरीक्षक	अ०ज०जा०	02	_	_	_	_	02			
1.	701/648/43/2021	नागरिक पुलिस	अ०पि०व०	09	02	_	_	_	07			
	701701071372021		11 11 (4) 31(1(1	11 11 14 31 11 11	ii ii vii givivi	11 11 14 31 11 11	आ०क०व०	06	01	_	_	1
			सामान्य	35	10	_	01	01	23			
			योग	65	16	_	01	01	47			
			अ0जा0	09	02	-	_	_	07			
		उप निरीक्षक	अ०ज०जा०	01	_	-	_	_	01			
2.	702/648/43/2021	अभिसूचना	अ०पि०व०	06	01	_	_	_	05			
	702,010,13,2021	ગાનપૂર્વના	आ०क०व०	04	01	_	_	_	03			
			सामान्य	23	06	_	01	01	15			
			योग	43	10		01	01	31			

- (ii) वेतनमान:- रू० 44,900-रू० 1,42,400 (लेवल-07)
- (iii)आयु सीमा:- 21 वर्ष से 28 वर्ष तक
- (iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-

### अनिवार्य अर्हता:--

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी।

# (vi) सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा :--

उप निरीक्षक सीधी भर्ती के लिए पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अईताएं निम्नवत् होंगी:—



Page 2 of 20

#### (क) ऊंचाई:-

क्र0सं0	वर्ग	पुरूष अभ्यर्थियों हेतु	महिला अभ्यर्थियों हेतु
		(न्यूनतम)	(न्यूनतम)
1	सामान्य जाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य	167.70 से0मी0	152.0 से0मी0
	पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु		
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	160.0 से0मी0	147.0 से0मी0
3	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	162.60 से0मी0	147.0 से0मी0

## (ख) सीने की माप (केवल पुरूष अभ्यर्थियों हेत्)-

क्र0सं0	वर्ग	बिना फुलाये	फुलाने पर
		(न्यूनतम)	(न्यूनतम)
1	सामान्य जाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	78.8 से0मी0	83.8 से0मी0
	के अभ्यर्थियों हेतु		
2	अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	76.5 से0मी0	81.5 से0मी0
नोट- र	नीने में न्यूनतम 05 से0मी0 का फुलाव अनिवार्य है।		

# (ग) शारीरिक वजन:- 45 कि0ग्रा० न्यूनतम (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)

पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारणः— देहरादूनः पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना निदयों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र। नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार सिहत सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग।

नवसृजित जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोडा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

# (Vii) शारीरिक दक्षता परीक्षा :--

शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की *अर्हकारी प्रकृति* की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ली जाएगी:—

# 1— पुरूष अभ्यर्थियों हेतु:--

क्र0सं0	आइटम	अर्हकारी मानक
1	क्रिकेट बाल थ्रो	50 मीटर
2	लम्बी कूद	13 फੀਟ
3	चिनिंग अप	05 बार
4	दौड़ व चाल	05 कि0मी0 (30 मिनट में)
5	दण्ड—बैठक	(क) 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड
		(ख) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक



### 2- महिला अभ्यर्थियों हेतु:-

क्र0सं0	आइटम	अर्हकारी मानक
1	क्रिकेट बाल थ्रो	20 मीटर
2	लम्बी कूद	08 फੀਟ
3	दौड़ व चाल	200 मी0 (40 सेकेण्ड में)
4	स्किपिंग	01 मिनट में 60 बार
5	शटल रेस (25 x 4 मीटर)	29 सेकेण्ड में

## (viii) शारीरिक स्वस्थता :-

(1) लिखित परीक्षा के उपरान्त मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। अभ्यर्थी मेडिकली फिट होने चाहिए। अभ्यर्थी की दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्में के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बांये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बांयी आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए। वर्ण—अंधता/भेंगापन से पूर्णरूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो—लेग, वेरिकोस वैन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्यायें जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, अभिसूचना की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे, को अयोग्यता माना जायेगा।

# (ix) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की 02 घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन (उत्तराखण्ड की जानकारी सहित) का एक प्रश्नपत्र होगा।

# 2. पदनाम— गुल्मनायक (पुरूष) (पीएसी एवं आई0आर0बी०)

पदकोड-355/648/43/2021

कुल पद-89

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :--

		a	रिक्त	क्षैतिज आ	रक्षण के अन्त	र्गत रिक्त पर	ों की संख्या
क्र.सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	पद	DFF 02%	Ex.Ser. 05%	ORPHAN 05%	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	9
		अ0जा0	18	_	_	_	18
	गत्मनागरू (गरूष)	अ०ज०जा०	03	_	_	_	03
1.	गुल्मनायक (पुरूष) (पीएसी एवं	अ०पि०व०	12	_	_	_	12
	आई०आर०बी०)	आ०क०व०	08	_	-	_	08
	31120311(0410)	सामान्य	48	_	02	02	44
		योग	89	_	02	02	85



Page 4 of 20

नोटः 1— कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 589 / कर्मिक—2 / 2002 दिनांक 21 जून 2002 के अनुसार "ऐसे विभाग जहाँ कुल पदों में महिलाओं / पुरूषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं, उन पदों में महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी।"

- (ii) वेतनमान:- रू० 44,900-रू० 1,42,400 (लेवल-07)
- (iii)आयु सीमा:- 21 वर्ष से 28 वर्ष तक
- (iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।

## (v) शैक्षिक अर्हता:-

#### अनिवार्य अर्हताः--

भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी।

# (vi) सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा :--

गुल्मनायक सीधी भर्ती के लिए पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए अर्हकारी प्रकृति की न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं निम्नवत् होंगी:—

#### (क) ऊंचाई:-

क्र0सं0	वर्ग	पुरूष अभ्यर्थियों हेतु (न्यूनतम)
1	सामान्य जाति / अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	167.70 सें0मी0
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु	160.0 से0मी0
3	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	162.60 से0मी0

# (ख) सीने की माप -

क्र0सं0	वर्ग	बिना फुलाये (न्यूनतम)	फुलाने पर (न्यूनतम)
1	सामान्य जाति / अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु	78.8 सें0मीं0	83.8 सें0मी0
2	अनुसूचित जनजाति / पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु	76.5 से0मी0	81.5 से0मी0
नोट- र	तीने में न्यूनतम 05 से0मी0 का फुलाव अनिवार्य है।		

# (ग) पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण:-

देहरादूनः पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना निदयों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र। नैनीताल तथा



Page 5 of 20

गढ़वाल, कोटद्वार सहित सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग।

नवसृजित जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

### (Vii) शारीरिक दक्षता परीक्षा :--

शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ली जाएगी:—

## 1- पुरूष अभ्यर्थियों हेतु:--

क्र0सं0	आइटम	अर्हकारी मानक
1	क्रिकेट बाल थ्रो	50 मीटर
2	लम्बी कूद	13 फੀਟ
3	चिनिंग अप	05 बार
4	दौड़ व चाल	05 कि0मी0 (30 मिनट में)
5	दण्ड–बैठक	(क) 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड
		(ख) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक

## (viii) शारीरिक स्वस्थता :-

(1) अभ्यर्थी मेडिकल रूप से फिट होनी चाहिए। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्में के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बांये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बांयी आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए। वर्ण—अंधता/भैंगापन से पूर्णरूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो—लैग, वेरिकोस वैन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्यायें जो गुल्मनायक (पुरूष) (पीएसी एवं आई0आर0बी0) की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे, को अयोग्यता माना जायेगा।

# (ix) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की 02 घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन (उत्तराखण्ड की जानकारी सहित) से सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगें।



Page 6 of 20

#### 3. पदनाम-

# अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (पुरुष/महिला)

## पदकोड-024/648/43/2021

कुल पद-24

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र.सं.	पद का नाम	आरक्षण	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
<i>J</i> r. (1.	74 4/1 11/1	श्रेणी	114(1 44	WO 30%	DFF 02%	Ex.Ser. 05%	ORPHAN 05%	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		अ0जा0	05	01	_	_	_	04
1.	अग्निशमन	अ0ज0जा0	01	_	_	_	-	01
	द्वितीय	अ०पि०व०	03	_	_	-	_	03
	अधिकारी	आ०क०व०	02	_	_	_	_	02
		सामान्य	13	03	-	_	-	10
		योग	24	04	_	-	_	20

- (ii) वेतनमान:- रू० 44,900-रू० 1,42,400 (लेवल-07)
- (iii)आयु सीमा:- 21 वर्ष से 28 वर्ष तक
- (iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-
- (a) अनिवार्य अर्हता:-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (विज्ञान वर्ग) या इसके समकक्ष होगी।

- (vi) शारीरिक अर्हताएं:--
- (क) महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड ऑफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिये शारीरिक मानक नाप—जोख :--

# (i) ऊँचाई:-

सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग के लिए/अनुसूचित जाति हेतु	152 से0मी0
अनुसूचित जनजाति हेतु	147 से0मी0
पर्वतीय क्षेत्र हेतु	147 से0मी0

- (ii) वजन- न्यूनतम 45 कि0ग्राम होना अनिवार्य है।
- (iii) शारीरिक दक्षता :- महिला अभ्यर्थिनियों के लिए न्यूनतम अर्हकारी शारीरिक दक्षता परीक्षण निम्न प्रकार है:-

कं0सं0	आईटम का नाम	मानक
1	किकेट बॉल थ्रो	20 मीटर
2	लम्बी कूद	08 फਿਟ
3	दौड़ व चाल	200 मीटर (40 सेकेण्ड में)



Page 7 of 20

4	रिकपिंग	01 मिनट में 60 बार
5	शटल रेस (25 <b>x</b> 4)	29 सैकेण्ड में

(ख) पुरुष अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड ऑफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिये शारीरिक मानक नाप—जोख :—

### (i) ऊँचाई:-

सामान्य / अन्य पिछडा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	167.7 से0मी0
अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	160 से0मी0
पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम	162.6 से0मी0

### (ii) सीने की माप

	बिना फुलाये	फुलाने पर
1. सामान्य व अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए	78.8 से0मी0	83.8 से0मी0
<ol> <li>अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए</li> </ol>	76.5 से.मी.	81.5 से.मी.
नोटः न्यूनतम 05 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।		

नोट: सीने में कम से कम 05 से0मी0 का फुलाव आवश्यक है।

(iii) अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड ऑफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम अर्हकारी मानक:— अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड ऑफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम अर्हकारी मानक निम्नवत् होंगे:—

क्र0सं0	इवेण्ट का नाम	मानक
1	क्रिकेट बाल थ्रो	50 मीटर
2	लम्बी कूद	13 फੀਟ
3	चिनिंग अप	05 बार
4	दौड़ व चाल	05 कि0मी0 (30 मिनट में)
5	दण्ड—बैटक	(क) 02 मिनट 30 सैकेण्ड में 40 दण्ड
	,	(ख) 60 सैकेण्ड में 50 बैठक

# (vii) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की 02 घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

# 4. लिखित प्रतियोगी परीक्षा -

(i) सामान्य व ओ०बी०सी० श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य हैं, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जायेंगे।

Page 8 of 20

- (ii) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
- (iii) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
- (iv) लिखित परीक्षा के ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) ट्रिप्लीकेट में होंगे। ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमित होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जा सकेगा। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई, तो अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री ऑनलाइन माध्यम से दी जायेगी।
- (v) गलत उत्तरों के लिए दण्ड- वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा:-
- (क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।
- (ख) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।
- (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नही दिया जायेगा।
- (घ) ओ०एम०आर० शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।
- (च) अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट में गलत रोल नं०. अथवा बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित न करता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
  - (छ) ऑनलाइन परीक्षाओं में यह प्रक्रिया तद्नुसार होगी।
- (vi) लिखित परीक्षा ऑनलाईन (CBT) होने की स्थिति में पर प्रश्न-पत्र व दिये गये उत्तर यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जायेंगे।
- 05. अधिमानः— लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।

06- पदों का विकल्प चयन:- अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के वरीयताक्रम के आधार पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना/गुल्मनायक तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों हेत् विकल्प चयन का अवसर अभिलेख सत्यापन के समय दिया जायेगा।

07- शारीरिक दक्षता व लिखित परीक्षा के लिए केन्द्र का चयन:- ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को अर्हकारी शारीरिक दक्षता परीक्षण व लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र का अलग–अलग विकल्प उपलब्ध होगा व अभ्यर्थी को दोनों में विकल्प चयन करना होगा। दोनों परीक्षा के लिए एक ही या अलग-अलग विकल्प भी अनुमन्य है।

08. आयु :-

उक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है। उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 191/XXX(2)/2021-30(10)2019 दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन वर्ष 2021—2022 में अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम आयू 29 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

परन्तु यह कि

- 1- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्याः 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य
- 2— उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश सं० 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
- 3— भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा सेना में की गयी सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में घटाने के उपरान्त तीन वर्ष की छूट निर्धारित आयु सीमा में देय होगी।
- 4— होमगार्ड जिन्होंने दिनांक 01.07.2021 को 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, को सक्षम अधिकारी (जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। (केवल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/उप निरीक्षक अभिसूचना / गुल्मनायक (पुरूष) पीएसी / आईआरबी हेतु अनुमन्य)
- 09. **आवेदन हेतु पात्रता**:— उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों,

Page **10** of **20** 

स्वयं अथवा उनके पति / पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र / पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति / पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र / पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

### 10. अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

## 11. राष्ट्रीयता :--

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :--

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अविध के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अविध से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी:— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सिम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

#### 12. चरित्र:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चिरत्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य—व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जायेगी।

27

Page 11 of 20

#### 13. वैवाहिक प्रास्थिति:-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

#### 14. शारीरिक स्वस्थता:-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानिसक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। अभ्यर्थी मेडिकली फिट होने चाहिए। अभ्यर्थी की दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्में के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बांये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बांयी आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए। वर्ण—अंधता/भैंगापन से पूर्णरूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो—लेग, वेरिकोस वैन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्यायें जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना/गुल्मनायक/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे, को अयोग्यता माना जायेगा।

15. बन्ध पत्र:— अन्तिम रूप से चिकित्सीय परीक्षण में सफल / चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र / बन्ध पत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक सेवा में रहेंगे। यदि उनके द्वारा 05 वर्ष से पूर्व त्याग पत्र दिया जाता है अथवा उनके अनुरोध पर किसी दूसरी सेवा हेतु कार्यमुक्त किया जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एवं प्रशिक्षण अविध के दौरान उन्हें भुगतान किये गये स्टाईपेण्ड / वेतन की राशि का भुगतान उन्हें पुलिस विभाग को करना होगा।

#### 16. आरक्षण:--

- 1. **ऊर्ध्व आरक्षण** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
- 2. क्षैतिज आरक्षण— उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं तथा अनाथ/प्रभावित अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों/शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण संबंधी श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण—पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
- 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नही है।

Page 12 of 20

- 4. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी / उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (i)"भूतपूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वाय सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो-(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तू अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्यूत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्यूटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं- (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।(चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी / उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तृत करना अनिवार्य होगा।

नोट:— 1— भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "the ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

2— भारत सरकार के Notification No. 36034/5/85-Estt.(SCT) दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 के अनुसार उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व किन्तु 01 वर्ष के अन्तर्गत आवेदन करने की दशा में उन्हें भूतपूर्व सैनिक हेतु निर्धारित आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

- 3— भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।
- (ii) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र / पुत्री से है।

#### नोट:-

- 1. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।
- 2. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02% तथा अनाथ/प्रभावित बच्चों हेतु 05% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 3. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- 4. आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

# 17. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया:-

- 1. आवेदकों द्वारा UKSSSC की वेबसाइट <u>www.sssc.uk.gov.in</u> के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 2. आवेदकों को पहले UKSSSC की वेबसाइट पर जाना होगा और "OTR" लिंक पर क्लिक कर अपना One Time Registration Profile बनाना अनिवार्य होगा।
- 3. उम्मीदवारों को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ई—मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
- 4. उम्मीदवार को OTR प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सेव करना होगा।
- 5. उम्मीदवार को हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर की इमेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा।
  - फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (अधिकतम 50 केबी)
  - स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज (अधिकतम 50 केबी)
  - बॉये अंगूठे का निशान (अधिकतम 50 केबी)

30)

Page 14 of 20

- 6. यूजर नेम के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। "आवेदन के लिए यहाँ विलक करें" लिंक सक्रिय विज्ञापनों के साथ उपलब्ध हैं।
- 7. "आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें" लिंक पर क्लिक करने पर OTR उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि उम्मीदवार पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश सिस्टम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले OTR को संशोधित करना होगा।
- 8. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार का आवेदन ही सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।
- 9. उम्मीदवार आवेदन Submit होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकते।

### 18. शुल्क:—

कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 332/XXX(2)/2021/55(35)/2003 दिनांक 03 अक्टूबर, 2021 द्वारा 31.03.2022 तक सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापनों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क न लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

# 19 . आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तो को पढ़े:--

(1) OTR तथा आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। OTR भरने के पूर्व आयोग की वेबसाइट पर OTR भरने से संबंधित दिये गये प्रश्नोत्तरों (FAQ) को अवश्य देखें जिससे OTR भरने में छोटी-छोटी त्रृटियां न हों। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढकर ही OTR तथा आवेदन पत्र भरें, क्योंकि आनलाईन फार्म में बिना प्रमाण-पत्रों / संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नही है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। यदि आवेदन में कोई त्रुटि है तो OTR में Edit विकल्प लें। आवेदन पत्र भरने के बाद Final Submit बटन क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई प्रविष्टि को संशोधित कर सकते हैं। एक बार Final Submit हो जाने के उपरांत इस आवेदन-पत्र के लिए OTR या आवेदन पत्र में कोई संशोधन संभव नही है। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जिम्मेदार है तथा आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरे जाने के बाद इसमें संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। OTR में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर को यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत भरा जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा "MY REQUEST" Button को Click कर संशोधन हेत् request भेजी जा सकती है, जिसे आयोग स्तर से Approve किया जायेगा व इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी की details स्वयं update हो जायेंगी।

Page 15 of 20

- (2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन OTR तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या:-79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस)19532 / 2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।
- (3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की तिथि या आवेदन की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।
- (4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग / साक्ष्य हेत् अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
- (5) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा OTR तथा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पृष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है, साथ ही सूसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।
- (6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतू पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नही होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तृति वापस ले ली जाएगी।

Page **16** of **20** 

- (7) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली—भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही—सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों / प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (9) अभ्यर्थी अपने OTR प्रोफाइल कभी भी भर सकते हैं। एक बार OTR प्रोफाइल भरने के बाद प्रत्येक आवेदन—पत्र में उनका यह डेटा स्वतः आ जायेगा तथा उन्हें बार—बार विस्तृत आवेदन—पत्र नहीं भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बिल्क उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में इससे वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है व इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।
- (10) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवानियमाविली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों / नियमाविलयों / मैनुअल्स / मार्ग—दर्शक सिद्धान्तों एवं समय—समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
- (11) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जायेगा, नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (12) OTR में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई—मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नही है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें जो आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण—पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- (13) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश—पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
- (14) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी / कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित

21

किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन/आपित्त ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अविध के उपरान्त प्राप्त आपित्तयों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपित्त प्राप्त नहीं होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जायेगा।

- (15) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमित नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सिहत अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सिहत किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
- (16) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:— परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
- (17) परीक्षा भवन में आचरणः— कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (OMR) की मूल व द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। यदि अभ्यर्थी मूल या द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो एसे अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जा सकेगा।
- (18) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (19) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:--
- (क) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित

Page **18** of **20** 

साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायगी। परीक्षा के उपरांत चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।

- (ख) अभ्यर्थियों से ऐसे आचरण की अपेक्षा की जाती है, जो सार्वजनिक सेवा में पात्रता के अनुकूल हो, क्योंकि चयनित होने के उपरांत उन्हें सरकारी सेवक के रूप में लोक सेवा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। कतिपय मामलों में यह संज्ञान में आया है कि अभ्यर्थियों द्वारा गलत मंशा से आयोग या राज्य सरकार की छिव खराब की जा रही है। पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों का आचरण एक सीमा से अधिक अशोभनीय पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है व उन्हें आयोग की भविष्य में होने वाली परिक्षाओं से भी प्रतिवारित किया जा सकता है।
- (20) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा की गयी संस्तुति से अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।
- (21) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता / शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (22). अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <u>www.sssc.uk.gov.in</u> का समय—समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।
- (23) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाय— आ0क0व0— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग Wo- महिला अभ्यर्थी DFF- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित Ex.Ser.-भूतपूर्व सैनिक Orphan- अनाथ बच्चे
- (24) इस विज्ञप्ति द्वारा प्रारम्भ की गई चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में अभ्यर्थन से संबंधित अन्य शर्ते व पात्रतायें स्पष्ट हैं। इन्हें भलीभाँति देखकर आवेदन करें। आवेदन—पत्र भर जाने का अर्थ है कि अभ्यर्थी इन सभी बातों को स्वीकार करता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में इन शर्तों, पात्रताओं व पाठ्यक्रम आदि पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी तथा इसे चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला समझा जायेगा।

Page 19 of 20

(25) आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ—साथ ऑनलाइन (Computer based test) परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से सम्पन्न कराई जा सकती है।

(संतोष बडोनी),

सचिव।